



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2726]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2017/आश्विन 3, 1939

No. 2726]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017/ASVINA 3, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2017

का. आ. 3114(अ).—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

प्रथम अनुसूची में, "महापत्तनों के भाग-I" के कॉलम (1) में "कंडला" प्रविष्टि के स्थान पर "दीनदयाल" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. पीडी-24015/149/2017-पीडी.IV]

रबिन्द्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2017

S.O. 3114(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule, in "PART-I MAJOR PORTS", in column (1), for the entry "Kandla", the entry "Deendayal" shall be substituted.

[F.No.PD-24015/149/2017-PD.IV]

RABINDRA KUMAR AGARWAL, Jt. Secy.

5844 GI/2017

(1)